पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध वाद मामला संख्या 9/2013

में

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 802/2017

==========

1. भारत संघ, महाप्रबंधक ई. सी. रेलवे, हाजीपुर के माध्यम से।

2. श्री संजय कुमार, पिता का नाम - नामालूम मुख्य सचिव आयुक्त, आर. पी. एफ., ई. सी., हाजीपुर।

3. श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, पिता का नाम - नामालूम उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ई. सी. रेलवे, हाजीपुर।

4. श्री प्रणव कुमार मंडल, पिता का नाम - नामालूम सुरक्षा आयुक्त, आर. पी. एफ., ई. सी. रेलवे, दानापुर।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

मुकेश कुमार साह पिता का नाम - गजाघर साह, निवासी - ग्रा.+पो. - मुरेरा, डाकघर - दारुली।

.... उत्तरदाता

==========

पटना उच्च न्यायालय का लेटर्स पेटेंट-खंड 10-न्यायालय की अवमानना अधिनियम-धारा 19-रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987-नियम 48.2 (ii)-रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968-नियम 14-एमजेसी सं. सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 5002/2012 से उद्भूत, जिसमें अपीलकर्ता अधिकारियों को प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करने और भेजने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था-याचिका कि अवमानना

क्षेत्राधिकार में विद्वान न्यायालय माननीय खंड पीठ द्वारा पारित मूल आदेश के पीछे नहीं जा सकता है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को मामले पर पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता दी गई थी और पुनर्विचार पर यदि रेलवे अधिकारियों को पता चलता है कि प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, तो नियुक्ति से इनकार करना और प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए भेजना उनके अधिकार क्षेत्र में था।

आयोजित किया गयाःएक बार जब माननीय खंड पीठ ने अपीलकर्ता अधिकारियों को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, भले ही अपीलकर्ता अधिकारियों ने एक अवैध या गलत आदेश पारित किया हो, लेकिन इस पर चर्चा या अवमानना क्षेत्राधिकार में निपटा नहीं जा सकता है-विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवमानना क्षेत्राधिकार में बैठे हुए आदेश या रेलवे अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय की योग्यता में जाना उचित नहीं था, जिसके तहत उन्होंने यह विचार रखा कि आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए याचिकाकर्ता रेलवे सुरक्षा बल के तहत नियुक्ति का हकदार नहीं है-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-याचिकाकर्ता-निजी प्रतिवादी को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी कानून के अनुसार रेलवे अधिकारियों का निर्णय।(पैरा 12-15)

(2006) 5 एस. सी. सी. 399 (1981) 4 एस. सी. सी. 8 (2001) 2 एस. सी. सी. 588

…….संदर्भित किया गया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध वाद मामला संख्या 9/2013

में

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 802/2017

==========

1. भारत संघ, महाप्रबंधक ई. सी. रेलवे, हाजीपुर के माध्यम से।

2. श्री संजय कुमार, पिता का नाम - नामालूम मुख्य सचिव आयुक्त, आर. पी. एफ., ई. सी., हाजीपुर।

3. श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, पिता का नाम - नामालूम उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त, ई. सी. रेलवे, हाजीपुर।

4. श्री प्रणव कुमार मंडल, पिता का नाम - नामालूम सुरक्षा आयुक्त, आर. पी. एफ., ई. सी. रेलवे, दानापुर।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

मुकेश कुमार साह पिता का नाम - गजाघर साह, निवासी - ग्रा.+पो. - मुरेरा, डाकघर - दारुली।

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री देवेंद्र कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री कुमार प्रियरंजन, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री गौतम बोस, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अजय कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांक: 02-04-2018

सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 5002/2012 से उत्पन्न होने वाला विविध वाद सं. 09/2013 में पारित दि. 20/03/2017 के आदेश को स्थगित करते हुए वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दाखिल किया गया है।

2. इससे पहले, निजी प्रतिवादी नं. 1 को नोटिस जारी करते हुए दिनांकित 10.05.2017 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय ने विवादित आदेश की प्रकृति पर ध्यान दिया, जिसके तहत भले ही विचाराधीन आदेश अवमानना अधिकार क्षेत्र में पारित किया गया हो, लेकिन विचाराधीन आदेश को देखने पर, इस अदालत ने पाया कि अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत एक कार्यवाही में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने नए निर्देश जारी किए थे, जो पहले की रिट याचिका में जारी किए गए निर्देश का हिस्सा नहीं थे, और आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक अनिवार्य प्रकृति का है, इसलिए लेटर्स पेटेंट अपील को बनाए रखने योग्य माना गया था।

3. याचिकाकर्ता (निजी प्रत्यर्थी संख्या 1) ने शुरू में अपने रिट अधिकार क्षेत्र में इस अदालत का रुख किया था जिसमें दिनांक 26.04.2012 के आदेश के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 48.2 (ii) के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा कांस्टेबल के पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।चूंकि रिट अदालत ने पाया कि वही आवश्यकता रेलवे के अधिकारियों द्वारा 06.03.2006 पर जारी किए गए विज्ञापन में शामिल की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान है, से प्राप्त माध्यमिक डिग्री को मैट्रिक/हाई

स्कूल परीक्षा के समकक्ष माना जाएगा, और इसलिए, रेलवे अधिकारियों के लिए एक अलग दृष्टिकोण लेने और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद और उक्त पद के लिए चुने जाने के बाद याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण से प्रतिबंधित करने का कोई अवसर नहीं था।विद्वान रिट अदालत ने रेलवे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.04.2011 को पारित आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए तुरंत भेजने और उन्हें कानूनी और वैध रूप से नियुक्त किया जाना का निर्देश दिया।

4. रिट अदालत द्वारा पारित आदेश को इस अदालत के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती दी गई थी।माननीय खंड पीठ ने एल. पी. ए. में पारित अपने दिनांक 20.02.2014 के फैसले के माध्यम से विद्वान रिट अदालत के आदेश को संशोधित किया और प्रतिवादी अधिकारियों को निजी प्रतिवादी नं. 1 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी ने माध्यमिक के तुरंत बाद और नए नियमों के लागू होने से पहले उच्च योग्यता प्राप्त की।

5. यह एल. पी. ए. में माननीय खंड पीठ के आदेश के अनुसरण में पुनर्विचार के इस चरण में है, रेलवे अधिकारियों ने पाया कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,302 और 307 के तहत सहपठित शस्त्र अधिनियम की धारा 27। चूंकि याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, इसलिए वह रेलवे सुरक्षा बल के तहत नियुक्ति पाने का हकदार नहीं था। यही कारण है कि विद्वत रिट न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया।

6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में जब याचिकाकर्ता-निजी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा एमजेसी सं. 9/2013 अवमानना आवेदन दायर किया गया था। इस न्यायालय ने दिनांक 20.03.2017 के आदेश के माध्यम से बार में की गई दलीलों पर ध्यान दिया और रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 14 का संज्ञान लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाद में मांगी गई पूर्व रिपोर्ट याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करने के लिए एक उपकरण के अलावा और कुछ नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार है कि यदि

उक्त मामले में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो रेलवे अधिकारियों को उचित आदेश पारित करने का अधिकार है, लेकिन इस स्तर पर ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करने और भेजने का आदेश क्यों जारी नहीं किया जाए।इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को 10 अप्रैल, 2017 को इस उम्मीद के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए स्थगित कर दिया कि रेलवे का प्राधिकरण उचित आदेश पारित करेगा और याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए भेजेगा जैसा कि रिट अदालत के आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है।

7. भारत संघ (रेलवे) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवेंद्र कुमार सिन्हा प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश अवमानना क्षेत्राधिकार में बैठे हुए अपने अधिकार क्षेत्र से परे चले गए हैं और वास्तव में एक नया आदेश जारी किया है जो माननीय खंड पीठ के आदेश में नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अवमानना क्षेत्राधिकार में विद्वत न्यायालय मूल आदेश के पीछे नहीं जा सकता है और वर्तमान मामले में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा रिट आवेदन में पारित आदेश के फैसले में विलय हो गया था। दिनांक 20.02.2014 को, जिसे माननीय खंड पीठ ने पारित किया था, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को मामले पर पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता दी गई थी और पुनर्विचार करने पर यदि रेलवे अधिकारियों को पता चलता है कि याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि थी, तो नियुक्ति से इनकार करना और याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण के लिए भेजना उनके अधिकार क्षेत्र में था।

8. दूसरी ओर, निजी उत्तरदाता सं. 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपराधिक मामला बहुत देर से दर्ज किया गया है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और केवल इसलिए कि एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, उसे अपनी नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है जो वह एक चयन प्रक्रिया के अनुसार सफल हुआ।

9. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ याचिकाकर्ता (निजी प्रतिवादी सं. 1) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील को सुना है।

10. ***मिदनापुर पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा और अन्य के मामले जैसा (2006) 5 एस.सी.सी 399*** में प्रतिवेदित है में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के दायरे पर विचार किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या 2017 की एक अंतर-अदालत अपील माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के अनुच्छेद 15 के तहत अवमानना क्षेत्राधिकार में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ उपलब्ध था, यदि इसमें विवाद के गुण-दोष पर निर्देश शामिल थे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए ***शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कनिया*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय जैसा कि ***(1981) 4 एस.सी.सी. 8*** में प्रतिवेदित है; जहां लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के दायरे में विचार किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रासंगिक पैराग्राफ का हवाला दिया और पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 (कलकत्ता उच्च न्यायालय के पत्र पेटेंट के खंड 15 के अनुरूप) पर ध्यान दिया। पटना उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट के खंड 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***केंद्रीय खदान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड बनाम भारत संघ में जैसा कि (2001) 2 एस.सी.सी. 588*** में प्रतिवेदित है में विचार किया गया। उक्त मामले में, श्रमिकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17-बी के तहत अंतरिम राहत का दावा किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियोक्ता को रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान श्रमिकों को पूरा वेतन देने का निर्देश दिया। इसे लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने माना कि लेटर्स पेटेंट अपील विचारणीय नहीं थी क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी के तहत भुगतान का निर्देश देने वाला आदेश एक "निर्णय" नहीं था। 2017 के उक्त पटना उच्च न्यायलय एल पी ए सं. 802 को उलटते हुए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि औद्योगिक विवाद

अधिनियम, 1947 की धारा 17-बी के तहत भुगतान का निर्देश देने वाली एक रिट कार्यवाही में पारित अंतर्वर्ती आदेश एक अंतिम निर्धारण था जो पक्षों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करता था और इसलिए, "मध्यस्थ या अंतर्वर्ती निर्णय" की श्रेणी में आएगा, जिसके खिलाफ एक लेटर्स पेटेंट अपील होगी।

11. उक्त निर्णय के पैरा 12 और 14 से निम्नलिखित टिप्पणियों को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किया गया है।

> “अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (9) में "निर्णय" की परिभाषा का लेटर्स पेटेंट पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।
>
> * * *
>
> ..., यह इस प्रकार है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित एक अंतर्वर्ती आदेश पेटेंट पत्र के प्रयोजनों के लिए "निर्णय" के अर्थ के भीतर आता है, परीक्षण हैः क्या आदेश एक अंतिम निर्धारण है जो संबंधित पक्षों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर इसका पता लगाया जाना चाहिए।”
>
> 14. उपरोक्त सिद्धांत को मिठाईलाल दलसंगार सिंह बनाम अन्नाबाई देवराम किनी और सुबल पॉल बनाम मलिना पॉल में दोहराया गया था। बाद के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ सं 370-71, कंडिका 32 और 35)
>
> 32. लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के संबंध में प्रश्न का निर्धारण करते समय, अदालत को यह देखने की आवश्यकता होती है कि जिस आदेश के खिलाफ अपील करने की मांग की गई है, वह उसके अर्थ के भीतर एक निर्णय है या नहीं। अगर एक बार यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश की प्रकृति की परवाह किए बिना, जिसका अर्थ है कि अंतर्वर्ती या अंतिम निर्णय दिया गया है, लेटर्स पेटेंट का खंड 15 आकर्षित होगा।”

12. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने लेटर्स पेटेंट अपील में माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित मूल निर्णय दिनांक 20.02.2014 को पीछे छोड़ दिया है।एक बार जब माननीय खंड पीठ ने प्रत्यर्थी अधिकारियों को प्रत्यर्थी के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, भले ही प्रत्यर्थी अधिकारियों ने एक अवैध या गलत आदेश पारित किया हो, उस पर अवमानना क्षेत्राधिकार में चर्चा या निष्पादन नहीं जा सकता है।याचिकाकर्ता-निजी प्रतिवादी सं. 1 प्राधिकरण के इस तरह के निर्णय के खिलाफ उचित उपचार के लिए आवेदन करने की अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती थी, लेकिन हम पाते हैं कि विद्वान रिट अदालत ने अनुशासनात्मक नियमों और रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 14 पर विचार किया है, इसके बाद विद्वान अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बाद में मांगी गई पूर्ववर्ती रिपोर्ट याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करने का एक उपकरण है।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश के संबंध में, हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवमानना अधिकार क्षेत्र में रहते हुए रेलवे अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय की योग्यता में जाना उचित नहीं था, जिसके तहत उन्होंने यह विचार रखा कि याचिकाकर्ता के आपराधिक पृष्ठभूमि के आलोक में रेलवे सुरक्षा बल के तहत नियुक्ति का हकदार नहीं है।

14. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम एम. जे. सी. संख्या 9/2013 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.03.2017 के विवादित आदेश को रद्द करते हैं और हम अपीलार्थी के इस कथन पर ध्यान देते हुए अवमानना आवेदन को भी खारिज करते हैं कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य के आधार पर रेलवे अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के कारण नियुक्त नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को एक आपराधिक मामले में शामिल पाया गया है।अभिलेख पर हम पाते हैं कि एक 22.01.2016 दिनांकित कार्यालय आदेश है जिसके द्वारा रेलवे अधिकारियों ने रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के उप-नियम 52.2 को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले को खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता-निजी प्रतिवादी सं. 1 उक्त निर्णय दिनांक 22.01.2016 को कानून के अनुसार चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. लेटर्स पेटेंट अपील को ऊपर बताए गए सीमा तक अनुमति दी जाती है।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।